

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 2350 / 2018

रामकरण व अन्य

बनाम

नन्दकिशोर पारीक व अन्य

आदेश दिनांक :

08.05.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री जी पी शर्मा, अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से।

सुना गया।

प्रत्यर्चीगण को अपील तथा स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस तामील हेतु जारी किये जावें। नोटिस अधिवक्ता अपीलार्थी की प्रार्थनानुसार दस्ती उपलब्ध कराये जावें।

प्रकरण एकलपीठ दीवानी विविध अपील संख्या 2060 / 2018, 2083 / 2018 तथा 2059 / 2018 के साथ पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति